फर्द अहकाम

[illegible] बनाम [illegible]

न्यायालय SDO II सांगानेर

संख्या 219/2023

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	17/1/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता संघ आज [illegible] किये जाने के कारण न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकी। पी०ओ० साहब अन्य राज कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 13/1/25 को पेश	
	13/1/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता संघ आज [illegible] न्यायिक कार्यवाही [illegible] अन्य [illegible] साहब पूर्वानुसार दिनांक 21/1/25 [illegible] पत्रावली को पेश	
	21/1/25	पत्रावली पेश हुई। पी०ओ० साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 3/2/25 को पेश हों।	
	03/02/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्षगण उप०/ [illegible] बहस सुनी गई प्रार्थना पत्र O7 R11 CPC की। पारित आदेश हेतु पत्रावली दिनांक 17/02/25 को पेश हो। उप-खण्ड अधिकारी, जयपुर (द्वितीय)	
	17/2/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष हाजिर उपस्थित। प्रतिवादी सं. 1 व 2 का प्रार्थना पत्र O7 R11 CPC स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उप-खण्ड अधिकारी, जयपुर (द्वितीय)	

E-1/140 CHITRAKOOT,
NEAR VAISHALI NAGAR, JAIPUR.
Email: adv.ssg.in@...

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर-द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
वाद संख्या : 210/2023
निर्णय दिनांक : 17.02.2026

उनवानी

राधेश्याम

बनाम

कल्याण सहाय व अन्य

वाद बाबत् घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी०पी०सी०
निर्णय

दिनांक 17.02.2026

वादी ने दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा, तकरामा, सीमांकन अन्तर्गत धारा 53 व 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वाके ग्राम केशोपुरा, पटवार हल्का मांग्यावास, भू०अभि० क्षेत्र सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान में स्थित पुराने (साबिक) खसरा नम्बरान 336, 337, 338, 339, 341, 367 स्थित है जिसके हाल खसरा नम्बर 141/925 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 142/918 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 143 रकबा 0.56 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 443 रकबा 0.23 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 445 रकबा 0.37 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 449 रकबा 0.56 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 734 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 735 रकबा 0.71 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 737 रकबा 0.24 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 739 रकबा 0.16 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 740 रकबा 0.15 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 741 रकबा 0.27 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 783 रकबा 0.27 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 788 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 794 रकबा 0.38 हैक्टेयर कुल किता 16 कुल रकबा 4.89 हैक्टेयर का पेश किया है। जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी पी सी पेश किया जिसका सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि वादीगण के द्वारा उपरोक्त उनवानी वाद बाबत् घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा के संदर्भ में प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है कि आराजी खसरा नंबर 737, व 741 जो कि वादीगण के दादा व परदादा हरनाथ के द्वारा छोड़ी गई पैतृक कृषि भूमि है का मालिक घोषित किया जावे तथा यह भी अनुतोष चाहा है कि वादीगण का वाद प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 13 के विरूद्ध डिक्री फरमाया जाकर विवादग्रस्त पैतृक कृषि भूमि को राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती कर नाम अमल दराज किया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि पैतृक कृषि भूमि खसरा नंबर 737 व 741 का बेचान, विक्रय, रहन, बख्शीश, किसी व्यक्ति संस्था को न करें तथा वादीगण के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की कोई

उप-खण्ड अधिकारी,
जयपुर (द्वितीय)

बाधा कारित नहीं करे व किसी एजेन्ट हस्तैक्ष मार्फतगी से करवावे तथा प्रतिवादी संख्या 11 लगायत 13 को इस आशय से पाबन्द फरमाया जावें कि तात्कालिक वाद पत्र राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती आदि ना करें, तथा मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने वादग्रस्त संपत्ति जरिये पृथक-2 विक्रयपत्रों से दिनांक 19.07.2017 को खरीद कर ली, जिसका विक्रय पत्र दिनांक 20.07.2017 को पंजीबद्ध हुआ तथा दिनांक 20.07.2017 को ही मिन प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने मौके पर कब्जा ले लिया तथा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 3 ता 10 को कृषि काश्त करने के लिए 3/4 स्वंय व 1/4 वादीगण व प्रतिवादी संख्या 3 ता 10 को सौप दी ताकि फसल होने पर हानि लाभ में 3/4 के हिस्सेदार प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 रहेगें तथा 1/4 फसल के हिस्सेदार वादीगण व प्रतिवादीगण रहेगें। ऐसी स्थिति में वादीगण को दिनांक 20.07.2017 को वादग्रस्त संपत्ति के बेचान व प्रतिवादी कम 1 व 2 के हक मे हुए विक्रय पत्र की पूर्ण जानकारी हो गई थी किन्तु वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के हक मे निष्पादित विक्रय पत्र को निरस्त करवाने हेतु कोई विधिक कार्यवाही नही की है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पक्ष में वादग्रस्त संपत्ति खरीद करने के पश्चात् विधिवत रूप से राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरूस्ती हो चुकी है जिसकी जानकारी यथा समय ही वादीगण को हो चुकी थी। वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हक में निष्पादित विक्रय पत्र दिनांकित 20–07–2017 व राजस्व रिकार्ड मे नामान्तकरण की कार्यवाही का यथा समय ही जानकारी थी, ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी के तहत सरसरी तौर पर खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विनम्र निवेदन है कि प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अभिलेख पर लिया जाकर वादीगण का वाद आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी के तहत खारिज फरमाये जाने के कृपा पूर्वक आदेश प्रदान करें।

वादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी का जवाब पेश किया जिसका सुक्ष्म वृतांत इस प्रकार है कि वादी द्वारा श्रीमान न्यायालय के समक्ष पैतृक सम्पत्ति के संबंध मे श्रीमान न्यायालय के समक्ष उक्त वाद प्रस्तुत किया गया है। वादी उक्त विवादशुदा कृषि भूमि पर अपने दादा रामकिशोर के जमाने से ही काबिज काश्त व उक्त भूमि पर मकानात बनाकर निवास करते आ रहे है तथा आज दिनांक तक उक्त कृषि भूमि का बैचान वादी द्वारा किसी व्यक्ति व संस्था को नहीं किया गया है। उक्त भूमि का कब्जा आज दिनांक तक किसी व्यक्ति, संस्था को वादीगण द्वारा नही दिया गया क्योंकि वादीगण ने उक्त भूमि का बैचान व्यक्ति, संस्था को नहीं किया गया है। दिनांक 19.07.2017 व 20.07.2017 को किसी भी प्रकार का विक्रय पत्र वादी की

उप–खण्ड अधिकारी,
जयपुर (द्वितीय)

जानकारी में नहीं है। वादी द्वारा उक्त भूमि के सामने की तरफ जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर द्वारा रोड की जानकारी करने आये तब जानकारी हुई जिस पर वादी द्वारा दस्तावेजो की प्रति प्राप्त की गई तो वादीगण के पिता व दादा के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम इन्द्राज था जिस पर जानकारी के पश्चात वादी द्वारा अविलम्ब उक्त वादपत्र घोषणा व इन्द्राज दुरुस्ती तथा स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत करना लाजमी हुआ। वादी को राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज प्रतिवादी का नाम जानकारी होने पर दिनांक 05.11.2023 को वादीगण की उक्त पैतृक सम्पत्ति की नापजौक करने तथा मौके पर आकर प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को विवादशुदा मकान से बेदखल करने की नापाक कौशिश करने पर वादी द्वारा राजस्व रिकार्ड निकलवाने पर जानकारी हुई जिस पर वादी द्वारा उक्त वादपत्र श्रीमान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम राजस्व जमाबन्दी में नाम अमल दराज होने की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 05.11.2023 के पश्चात होने पर श्रीमान के समक्ष उक्त वादपत्र प्रस्तुत किया गया।

अतिरिक्त कथनः—

प्रतिवादीगण द्वारा श्रीमान न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी के तहत वादपत्र खारिज करने बाबत प्रस्तुत किया गया है जिसका मदवार जवाब वादी द्वारा दिया गया है। प्रतिवादी ने उक्त प्रार्थना पत्र वादी को उक्त विक्रय पत्र की जानकारी सन् 2017 में होना बताया है जिसके आधार पर वादपत्र खारिज करने की प्रार्थना की गई तथा प्रतिवादी ने अपने प्रार्थना पत्र में कब्जा वर्तमान में वादीगण का बताया गया है जो कि प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर प्रस्तुत किया गया है। आदेश 7 नियम 11 के अन्तर्गत क्षेत्राधिकार नहीं होने की स्थिति में व न्याय शुल्क कम अदा करने की स्थिति में वादपत्र खारिज किये जाने योग्य है। वादी द्वारा श्रीमान न्यायालय के समक्ष नियमानुसार न्यायशुल्क अदा की गई है तथा पैतृक कृषि भूमि के संबंध में अपने हिस्से व अधिकारो की घोषणा करने का क्षेत्राधिकार श्रीमान न्यायालय को है इसलिये प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 खारिज किये जाने योग्य है।

अतः वादी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 भारी हर्जे खर्चे पर खारिज फरमाया जावें।

वकील उभयपक्षों की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 पर बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये प्रार्थना पत्र

उप-खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 को स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया है। वकील अप्रार्थी/वादीगण ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 को खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया।

दावा पत्रावली, राजस्व रिकार्ड, प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 व जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 का आधोपान्त अवलोकन करने व वकील उभयपक्षों की बहस का मनन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे है कि वादीगण ने वाद पत्र बाबत स्थायी निषेधाज्ञा, तकास्मा, सीमाकन अंतर्गत धारा 53 व् 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिकारी अधिनियम 1955 के तहत वाके ग्राम केशोपुरा, पटवार हल्का मांग्यावास, भू०अभि० क्षेत्र सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान में स्थित पुराने (साबिक) खसरा नम्बरान 336, 337, 338, 339, 341, 367 स्थित है जिसके हाल खसरा नम्बर 141/925 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 142/918 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 143 रकबा 0.56 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 443 रकबा 0.23 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 445 रकबा 0.37 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 449 रकबा 0.55 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 734 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 735 रकबा 0.71 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 737 रकबा 0.24 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 739 रकबा 0.16 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 740 रकबा 0.15 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 741 रकबा 0.27 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 783 रकबा 0.27 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 788 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 794 रकबा 0.38 हैक्टेयर कुल किता 16 कुल रकबा 4.89 हैक्टेयर बाबत प्रस्तुत किया है मिन प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने वादग्रस्त संपत्ति जरिये पृथक–2 विकयपत्रों से दिनांक 19.07.2017 को खरीद कर ली, जिसका विकय पत्र दिनांक 20.07.2017 को पंजीबद्ध हुआ तथा दिनांक 20.07.2017 को ही मिन प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने मौके पर कब्जा ले लिया तथा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 3 ता 10 को कृषि काश्त करने के लिए 3/4 स्वंय व 1/4 वादीगण व प्रतिवादी संख्या 3 ता 10 को सौप दी ताकि फसल होने पर हानि लाभ में 3/4 के हिस्सेदार प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 रहेगें तथा 1/4 फसल के हिस्सेदार वादीगण व प्रतिवादीगण रहेगें। ऐसी स्थिति में वादीगण को दिनांक 20.07.2017 को वादग्रस्त संपत्ति के बेचान व प्रतिवादी कम 1 व 2 के हक में हुए विकय पत्र की पूर्ण जानकारी हो गई थी किन्तु वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के हक में निष्पादित विक्रय पत्र को निरस्त करवाने हेतु कोई विधिक कार्यवाही नहीं की है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पक्ष में वादग्रस्त संपत्ति खरीद करने के पश्चात् विधिवत रूप से राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरूस्ती हो चुकी है जिसकी

उप-खण्ड अधिकारी,
जयपुर (द्वितीय)

जानकारी यथा समय ही वादीगण को हो चुकी थी। वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हक में निष्पादित विक्रय पत्र दिनांकित 20-07-2017 व राजस्व रिकार्ड में नामान्तकरण की कार्यवाही का यथा समय ही जानकारी थी, ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी के तहत सरसरी तौर पर खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी स्वीकार फरमाया जाकर वादी का वाद पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

अतः वकील प्रार्थी / प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद बाबत घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 88, व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वाके ग्राम केशोपुरा, पटवार हल्का मांग्यावास, भू०अभि० क्षेत्र सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान में स्थित पुराने (साबिक) खसरा नम्बरान 336, 337, 338, 339, 341, 367 स्थित है जिसके हाल खसरा नम्बर 141/925 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 142/918 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 143 रकबा 0.56 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 443 रकबा 0.23 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 445 रकबा 0.37 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 449 रकबा 0.55 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 734 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 735 रकबा 0.71 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 737 रकबा 0.24 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 739 रकबा 0.16 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 740 रकबा 0.15 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 741 रकबा 0.27 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 783 रकबा 0.27 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 788 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 794 रकबा 0.38 हैक्टेयर कुल किता 16 कुल रकबा 4.89 हैक्टेयर खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री पृथक से जारी हो

निर्णय आज दिनांक 17.02.2025 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर),
जयपुर

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.

वाद संख्या : 219/2023

पारित डिक्री दिनांक : 17.02.2025

उनवान

1. राधेश्याम पुत्र स्वर्गीय श्री लालाराम,
2. बाबूलाल पुत्र स्वर्गीय श्री लालाराम,
3. कन्हैयालाल पुत्र स्वर्गीय श्री लालाराम,
   समस्त जाति-हरियाणा ब्राहम्ण, निवासीगण-ग्राम केशोपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान।
4. गुड्डी देवी पत्नि श्री छोटेलाल पुत्री स्वर्गीय श्री लालाराम, जाति-हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी-ग्राम भम्भोरिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान ।
5. सीता देवी पत्नी श्री गणेश स्वर्गीय श्री लालाराम, जाति-हरियाणा ब्राह्मण, निवासी-ग्राम भंभोरिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान।
6. माया देवी पत्नि श्री सोहन लाल पुत्री स्वर्गीय श्री लालाराम, जाति-हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी-ग्राम बांसा, तहसील चौमू, जिला जयपुर, राजस्थान ।

वादीगण

बनाम

1. कल्याण सहाय गुर्जर पुत्र श्री भूरा, जाति-गुर्जर, निवासी-प्लाट संख्या-89, कॉलोनी पटेलो की ढाणी, धावास, अजमेर रोड, जयपुर, राजस्थान।
2. कानाराम गुर्जर पुत्र श्री भूराराम गुर्जर, जाति-गुर्जर, निवासी-प्लाट संख्या-89, कॉलोनी पटेलो की ढाणी, धावास, अजमेर रोड, जयपुर, राजस्थान ।
3. कजोड पुत्र स्वर्गीय श्री हरसहाय, निवासी-पटेलो की ढाणी, ग्राम केशोपुरा, अजमेर रोड, जयपुर, राजस्थान।
4. सूरज पुत्र स्वर्गीय श्री हरसहाय, निवासी-पटेलो की ढाणी, ग्राम केशोपुरा, अजमेर रोड, जयपुर, राजस्थान।
5. ग्यारसी लाल पुत्र स्वर्गीय श्री हरसहाय, निवासी-प्लाट संख्या-89, कॉलोनी पटेलो की ढाणी, धावास, अजमेर रोड, जयपुर, राजस्थान।
6. मोहन पुत्र स्वर्गीय श्री हरि नारायण, निवासी-पटेलो की ढाणी, ग्राम केशोपुरा, अजमेर रोड, जयपुर, राजस्थान।
7. बाबू पुत्र स्वर्गीय श्री हरि नारायण, निवासी-पटेलो की ढाणी, ग्राम केशोपुरा, अजमेर रोड, जयपुर, राजस्थान।
8. विनोद पुत्र स्वर्गीय श्री हरि नारायण, निवासी पटेलो की ढाणी, ग्राम केशोपुरा, अजमेर रोड, जयपुर, राजस्थान।.
9. कमला देवी पत्नि स्वर्गीय श्री हरि नारायण, निवासी पटेलो की ढाणी, ग्राम केशोपुरा, अजमेर रोड, जयपुर, राजस्थान।
10. घीसी देवी पुत्री स्वर्गीय श्री हरि नारायण पत्नि श्री कल्याण शर्मा, निवासी ग्राम रानियावास, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर, राजस्थान ।
11. जयपुर विकास प्राधिकरण जरिये सचिव, कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण परिसर, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर।

उप-खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

12. तहसीलदार महोदय, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
13. उपखंडीयक महोदय, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

.....प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी, सॉगानेर द्वितीय जयपुर व हाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुदई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वकील प्रार्थी/ प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद बावत घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 88, व 188 राजस्थान का तकारी अधिनियम 1955 वाके ग्राम केशोपुरा, पटवार हल्का मांग्यावारा, भू०अभि० क्षेत्र सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान में स्थित पुराने (साबिक) खसरा नम्बरान 336, 337, 338, 339, 341, 367 स्थित है जिसके हाल खसरा नम्बर 141/925 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 142/918 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 143 रकबा 0.56 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 443 रकबा 0.23 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 445 रकबा 0.37 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 449 रकबा 0.55 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 734 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 735 रकबा 0.71 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 737 रकबा 0.24 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 739 रकबा 0.16 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 740 रकबा 0.15 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 741 रकबा 0.27 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 783 रकबा 0.27 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 788 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 794 रकबा 0.38 हैक्टेयर कुल किता 16 कुल रकबा 4.89 हैक्टेयर खारिज किया जाता है।

खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....का अदा करें।

बसव्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 17.02.2025 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत
उप-खण्ड अधिकारी,
ओहदा जयपुर (द्वितीय)

मुदई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प वह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान	1	00	स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान	1	00

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दी फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

उप-खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)